

25th March, 2022

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai- 400 001

Scrip Code: 505160

The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,

G Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai- 400 051

Company Code: TALBROAUTO

Re: Newspaper Advertisement for loss of Share Certificate of the Company

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of newspaper advertisement published in Business Standard (English- All editions & Hindi- Delhi NCR) newspaper on Thursday, 24th March, 2022 for your information and records.

Thanking You.

Yours Sincerely

For Talbros Automotive Components Limited

Seema Narang Company Secretary

Encl: As above

Sanjiv Goenka

ate looks to rapidly scale up.

tured) told Bloomberg TV on

Wednesday, saying the

Kolkata-based conglomerate

was looking to acquire more

retail chains and related

infrastructure after buying

niche sector player Nature's

Basket in 2019. The intent, he

said, is to "gain more critical

mass" and "greater mass"

when asked how he'll take on

sector giants such as billion-

aire Mukesh Ambani-led

Reliance Industries and

in annual revenues, is also

scouting for targets in power

utilities as well as IT-enabled

services, where it has already

bought three companies in the

past 12 months. Goenka,

however, eschews debt-fueled

expansion and prefers to rely

Theoretically, we could have

internal

The group, with \$4 billion

American e-tailer Amazon.

Serum Institute seeks Covovax EUA for 7- to 11-year age group

'CHILDREN'S VACCINE' Pune-based vaxmaker conducting trials on children aged 2 yrs and above

une-based Serum Institute of India (SII) has sought emergency-use authorisation (EUA) for its Covovax vaccine from the drug regulator for children aged between seven and 11 years, said sources in the know. If the approval comes through.

for such an age group. "SII has submitted the interim data from the clinical trials and sought EUA for the Novavax vaccine it manufactures in India under the name Covovax," said a source close to the development.

this will be a global first for the vaccine

SII withheld comment till the time of going to press. Earlier this month, SII had received the Drugs Controller General of India's (DCGI's) approval for Covovax for children aged 12-17 years.

Novavax, had said on Wednesday that its Covid vaccine got the DCGI green light. In December 2021, the DCGI had approved the vaccine for use in adults.

Covovax is the fourth Covid vaccine to be authorised for adolescents aged 12 years and beyond in India after Zydus Lifesciences' ZyCoV-D, Bharat Biotech's

Novavax says its Covid-19 vaccine gets India authorisation for teens

Novavax said on late on Tuesday its Covid-19 vaccine has got emergencyuse authorization from the Drugs Controller General of India for children aged 12 to 17 years.

The authorisation is a global first for the age group for the vaccine, which is manufactured and marketed in India by the Serum Institute of India under the brand name Covovax.

Novavax last month said its vaccine was 80 per cent effective against Covid-19 in a late-stage trial testing the shot in 2,247 teens aged 12

Covaxin, and Biological E's Corbevax. of Covovax on children as young as two Last month, US major Novavax had said its vaccine was 80 per cent effective against Covid in a late-stage trial testing the shot in 2,247 children aged 12-17 years. In India, SII is conducting trials

The company said on Tuesday its vaccine produced an immune response in the same age group in a mid-to late-stage study involving 460 Indian adolescents.

Covovax is the fourth Covid-19 vaccine to be authorised for adolescents aged 12 years and older in India after Biological E's Corbevax, Zydus Cadila's ZyCoV-D and Bharat Biotech's Covaxin.

India, which had so far been vaccinating children aged 15 and above, started administering doses of Biological E's Corbevax last week to children aged 12 to 14.

vears and above, and thus, it aims to position the vaccine as a children's vaccine, informed sources.

age group. The Union health ministry is using the Biological E vaccine Corbevax for 12-14 years and Bharat Biotech's Covaxin for 15-17 years. Although approved, both Covovax and ZyCoV-D are not used by the Centre on adolescents yet.

SII, meanwhile, has urged the government to include Covovax in the national Covid immunisation drive for 12 years and beyond.

"SII has written to the Union health ministry, urging it to use the vaccine on adolescents in the government programme. The company has also indicated that it has received queries from several institutions, schools, hospitals, and public sector undertakings to administer the vaccine, and is looking to price it at ₹900 per dose (excluding goods and services tax) in the private market," indicated a source.

The company is also keen to supply to the public immunisation drive, but has not indicated any price for supplying to the Centre. SII has written a letter to Union Health Secretary Rajesh Bhushan, saying it is awaiting the health Covovax, however, has not been pro-ministry's directives for supply of cured by the Centre so far for the 12-14 Covovax to the Government of India.

DCGI gives nod to Phase 3 clinical trial of Covovax

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 23 March

The Drugs Controller General of India (DCGI) granted permission on Wednesday for conducting the Phase 3 clinical trial of Covid-19 vaccine Covovax as a booster dose in adults, official sources said.

The Subject Expert Committee (SEC) on Covid-19 of the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) had, on March 5, recommended permission for conducting the Phase 3 clinical trial for Covovax as a booster dose in adults who have been fully vaccinated with either Covaxin or Covishield at least three months ago.

The DCGI approved Covovax for restricted use in emergency situations in adults on December 28 last year and for inoculating the beneficiaries in the 12-17 years age group, subject to certain conditions, on March 9.

The vaccine has not been included in the inoculation programme against Covid-19.

Director, Government and Regulatory Affairs at the Serum Institute of India, Prakash Kumar Singh, submitted an application to the DCGI in February, seeking permission to conduct a Phase 3, observer-blind, randomised, controlled study to evaluate the safety and immunogenicity of Covovax for booster doses in adults who had received primary vaccination either with Covishield or Covaxin at least three months ago, an official source had said.

Singh had stated that many countries were administering booster doses to their citizens, considering the uncertainties of the pandemic.

Covovax is manufactured by technology transfer from Novavax and is approved by the EMA for conditional marketing authorisation. It was granted emergency-use listing by the WHO in December 2020.



to grow by debt." Beyond expanding the group's power distribution business, which includes listed utility CESC, Goenka is looking to secure more electricity from renewable energy sources. "We are not investing at all in the thermal power business," he said. "It's a conscious decision the board has taken."

The tycoon is optimistic that the current inflation triggered by the global energy crisis will be a short-lived phenomenon. He expects the inflationary pressures to "balance out" in the next six months.

Fuel Prices Raised in India as Retailers Buckle to Oil Pain

"We do see an impact of oil prices and there's a mismatch in the supply scenario. In the short term, there's a definite impact," Goenka said. "We do been more aggressive," he believe it's short term and said. "We could have taken won't be significant in the more debt. But we prefer not long term '

Reducing dose gap may help liquidate Covishield stock

Mumbai, 23 March

The Centre's recent move to reduce the gap between two Covishield doses to 8-16 weeks from the earlier gap of 12-16 weeks may help liquidate vaccine stocks faster.

Covishield maker Serum Institute of India (SII) is sitting on 200-250 million doses of the vaccine at its Pune facility. The administration of Covishield at a reduced gap of 8 weeks has

However, this would create a faster turnaround of stocks lying with the government and private hospitals, thereby leading to a liquidation of the inventory lying with the company.

A source close to the devel-

million finished doses of

on the monthly dispatches from the Pune plant, but confirmed that the bulk of the stocks were being exported as local demand is low.

started slowing production of Covishield in Pune after it had piled up a stock of around 500 million doses - half of which were in bulk dose form and the remaining were finished doses. Vaccines in bulk dose form can be converted into finished formulation in about a month's time.

The firm has liquidated almost half of its inventory. Liquidating stocks is critical for Business SII as it can store around 600-



700 million doses at its site.

According to the Union Health Ministry, as of March 22, states had around 169.7 million vaccine doses lying with them.

Biological E supplied around 50 million doses of Corbevax to the Centre recently, and is in the process

of supplying more. If one considers the 50 million Corbevax doses, then the stockpile of Covishield and Covaxin lying with the state and Centre

is low

CHECK

■ SII has stock of

Local demand

200-250 mn

doses at Pune

States have

169 mn overall

Covid vax doses

with them

119 million doses. So far, Covishield has accounted for 83 per cent of the

would be roughly around

total 1.8 billion vaccine doses administered in India.

At that rate, one can estimate that around 90-99 million doses of the vaccine stock with the Centre and state governments could be of Covishield. This figure could not be verified with the Centre.

Hospital sources say that several doses of Covishield are set to expire by the end of this month. "Hundreds of thousands of doses of the vaccine lying with private sector institutions are nearing expiry this month and we do not know whether these would be taken back. The hospital industry body will hold a meeting on this soon to decide future course of action," said the administrator of a Mumbaibased hospital.

Aluminium mills get fewest coal rail rakes in six months

Railway rakes supplying coal to aluminium plants have dropped to the lowest since the peak of an energy crisis in September, forcing the industry to import more amid rising cost pressures.

The industry got an average of 18.4 coal-laden carriages a day in the first half of March, the lowest since the 17.8 rakes it received in September, according to data provided by Coal Minister Pralhad Joshi in a written reply to Parliament. Coal is supplied to power plants in India through railways and roads, but buyers located far from mines prefer the trains as road transport is costlier.

TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED CIN: L29199HR1956PLC033197 Regd. Office: 14/1, Mathura Road, Faridabad, Haryana-121003 E-mail: seema_narang@taibros.com; Website: www.taibros.com

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as misplaced / los SI. Name of Shareholder Folio no. Certificate

L	NO.			NO.	Snares	From	10
	1.	Radhey Mohan	R 000418	53231	150	4278299	4278448
	2.	Sushil Kumar	S 000503	53184	125	4263624	4263748
	pers	public is hereby alert on(s) who has/have an	y claim in res	pect of the s	aid share certif	ficates should	lodge such

claim(s) with the company's Registrar and Transfer Agents, Krin Technologies Limited, Kan Selenium Tower B, Pich Ko. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanankramguda, Hyderaba 500032 within 15 days from the date of this notice, after which no claim will be entertained.

Date: 23.03.2022



INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS

Sale of Jack up Rigs, Drill ship and Floating Production Unit

Deloitte Touche Tohmatsu India LLP ("DTTILLP") has been appointed to act as the exclusive process advisor to assist in identifying a buyer(s)/consortium of buyer(s), in relation to the sale and transfer of jack up rigs, Drillship and Floating Production Unit ("Assets"


I. The jack up rigs have been constructed at renowned shipyards in Singapore in 2008 The rigs have operational capability in water depths up to 375 feet and can assist in conducting drilling operations up to 30,000 feet. These rigs are currently operating/locate

The jack up rigs have operational capability in water depths ranging 250 feet to 300 feet and can assist in conducting drilling operations at and up to 20,000 feet. These rigs are currently operating in South Asia. 3. The Drill ship has operational capability in water depths ranging up to 1000 feet an

4. The Floating Production Unit has operational capability in water depths ranging up to 800 feet and is currently located in South Asia.

DTTILLP hereby invites interested parties (including rig brokers) having adequate finano DTTILLP at inprojectadept@deloitte.com requesting for participation in the process. Any information of confidential nature with respect to the Assets and the sale process shall only be shared with Interested Parties upon receipt of the executed copy f the non-disclosure undertaking. The last date for submission of the bids is April 15 2022. Any extension to the date for submission of the bid shall be communicated by DTTILLP via email, to all the Interested Parties.

ortant Notice: This advertisement and the details in it do not constitute a "public offering" or fer for purchase/sale of shares, derivatives or any other securities. This is a general ac for the purposes of providing preliminary/ basic information in relation to certain asset only. It is neith n offer, investment advice nor recommendation to purchase nor should it be deemed to constitute a tment whatsoever on the part of DTTILLP, its clients or any other party. The inform ontained herein is not complete and may be subject to change and interested parties must make the with investigations as to the condition and prospects of the business and the accuracy and ompleteness of the information in this advertisement or any other information made available to the interested parties pursuant to this advertisement. DTTILLP or its clients have neither independently checked nor verified any of the information contained herein and makes no representation of warranty as to the sufficiency, completeness, correctness or accuracy of the information contained in this advertisement. DTTILLP or its clients, partners, directors, employees, affiliates, subcontractors will not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, punitive or other damages, whether is an action of contract, statute, tort (including without limitation, negligence) or otherwise, relating to this dvertisement or any information contained in this advertisement. Responding to this advertisement certain jurisdictions may be restricted by law and, accordingly, interested parties should ensure the respond to this advertisement without contravention of any unfulfilled registration requirements or othe egal restrictions in the jurisdiction in which they reside or conduct business. The interested party ma onsult a qualified professional advisor before responding to this advertisement. DTTILLP or its clien r any other party will not be liable in any manner whatsoever for the costs and expenses incurred I ne interested parties in relation to responding to this advertisement. DTTILLP or its clients reserve the right to withdraw from/suspend the abovementioned process or any part thereof, to accept or reject any/all offer(s), at any stage of the process and/or modify the process or any part thereof or to vary any terms thereof without assigning any reasons and without any liability.



APPOINTMENTS



इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन

(भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था)

INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION nous body set up by Reserve Bank of India, Central Financial Institutions and Public Sector Banks;

असेसमेंट में, हम पर भरोसा रखता है भारत

In assessment, India trusts us

IBPS is the Premier Institute in India in the field of Personnel Selection and has impeccable track record of over four decades. We invite you to be a part of our Institute and contribute your expertise in an effective manner. We are inviting online applications for the following post:

	Post Code	Post Name	Vacancy	(as per present policy
	01	Division Head (Technology Support	1	Rs. 25 Lakhs
		Services) - On contract		(approx)
For more details and application kindly visit our website www.ihns in				

or more details and application kindly visit our website <u>www.lbps.in</u>

Mumbai | Date: 24.03.2022 **Division Head (Administration)**



Optional Riders available

Salient Features:

For details, contact your Agent/Nearest LIC Branch/visit www.licindia.in or **SMS YOUR CITY NAME to 56767474**

Maximum Guaranteed Additions @ ₹60/- per thousand Basic Sum Assured

Single Premium or Regular Premium Payment Mode

(Limited Premium Paying Term)



Age eligibility: 90 days - Max 60 years

Special Premium Rates for Female Life

BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS / FRAUDULENT OFFERS, IRDAI is not involved in activities like selling insurance policies, at

Har Pal Aapke Saath

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (गारत सरकार का चपक्रम) (Agovt. of India Undertaking) 41, वेससीयर सारणी, डब्बेंब्ड डायस डवी मंगिल, बेलेकात 70017 ई-मेल: E-mail: er.ro@concorindia.com, टेलीफोन: 033 22837101-03 नेविदा संख्या पारादीप पिक्ट में क्टेन्सों के सर्वेद्राण के लिए पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन खुली ई-निविदा सह रिवर्स नीलामी केवल ई-टेंडिरेंग मोड के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। कार्य का नाम बयाना राशि रु. 18,905/- ई-भुगतान के माध्यम अनुमानित लागत अनुबंध की अवधि 1+1 साल के लिए 18.90 लाख (लगभग)। (जीएसटी सहित) १२२१ तथ ई-मुगतान के माध्यम से सभी करों और शुल्कों सहित 1000/-रुपयं – अप्रतिदेय 1115/- ई-मुगतान के माध्यम से सभी करों और शुल्कों (अप्रतिदेय) सहित दस्तावेज की लागत निविदा प्रसंस्करण शुल बिक्री की तिथि (ऑन 24.3.22 को 10:00 बजे से 8.4.22 को 1700 बजे तक निविदा जुना करने की तिथि और समय (ऑनलाइन) निविदा खोलने की तिथि और समय (आनलाइन) 11.4.22 को 15:00 बजे तक या उससे पहले। नीवदा श्वालन का का निर्माण का विश्व हो। 12.422 19:30 बणा। इसरा (ब्रोनावाइन) ग्रन्सा मानदंड और अन्य विकरण के लिए कृपया <u>www.landarwizard.com/CCIL</u> और <u>www.concorindia.cor</u> रह लींग ऑनं करें। बोलीवाताओं से अनुशें हैं कि वे नियमित कप से वेबसाइट वेखें। कॉनकॉर बिना कोई कारा बताए किसी भी समय किसी भी या स्पृति निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शुद्धिपत्र, निरिशेष्ट/सपटीकरण, यदि कोई हो, केवल कॉनकॉर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। हस्ता, र एरिया हेड — एरिया । 12422 15:30 बजे।

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि.

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **योगेश यादव और अनुभव आर्य** को 28.05.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खा**ता नं. HHLNOD00398715 की राशि रू.1,07,43,092.03 (रूपये एक करोड़ सात लाख तैंतालीस हजार बानवे और तीन पैसे मात्र) और 27.05.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतददारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 21.03.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 1,07,43,092.03 (रूपये एक करोड़ सात लाख तैंतालीस हजार बानवे और तीन पैसे मात्र) 27.05.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण गुड़गांव गाँव में सेक्टर नंबर 104 पर स्थित "गोदरेज समिट" से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट के टावर (एच) में, तल मंजिल पर फ्लैट नं. एच -जी 04, (3बीएचके), मापित सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र लगभग 168.71 चौ. मीटर (1816 चौ.फीट), (बाल्कनी क्षेत्र सहित कार्पेट क्षेत्र 119.19चौ. मीटर, 1283चौ. फीट) कार पार्किंग का उपयोग करने के लिए , सभी सुविधाओं, विशेषाधिकारों, अधिकारों और लाभों के विशेष अधिकार के साथ, तहसील और जिला गुड़गांव -122001,हरियाणा और निम्ननुसार परिबद्ध है :-

पूर्व : टाइटल डीड अनमार उत्तर: टाइटल डीड अनुसार

दिनांक :21.03.2022 स्थान : गरुग्राम

पश्चिम : टाइटल हीड अनसार दक्षिण : टाइटल डीड अनुसार

ब्रंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकारी

SOUTH Bank मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर नंबर 98 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोन: 011-45128661 -मेल:ro1008@sib.co.in सीआईएन: एल65191केएल192 अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना |नियम **8 (6) का परंतुक देखें**|

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 व नाथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अच धास्तियों की बिकी के लिए नीलामी बिक्री सचना तददारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार (रों) तथा गारंटर (रों) को सचना दी जातं

कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, कनॉट प्लेस शाखा के पास बंधक रखी निम्नवर्णित अचल नम्पत्ति, जिसका सांकेतिक कब्जा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वार 12—10—2021 को प्राप्त किया जा चुका है, (1) श्री निपुण गुप्ता स्वामी मैसर्स फैब इरा क्राफ्ट्स कार्यालय पता : सीएन—644, भू तल, खसरा नंबर 88—89, महावीर गली, हैदरपुर, दिल्ली—11008। तथा निवासी मकान नंबर 37. रोड नंबर 71. पंजाबी बाग, नई दिल्ली—110026 तथा (2 श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी श्री निपुण गुप्ता, निवासी मकान नंबर 37, रोड नंबर 71, पंजाबी बाग नई दिल्ली–110026 से साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, कनॉट प्लेस शाखा की 22–03–2022 तव बकाया राशि रू. 2,26,97,141.13 (रू. दो करोड़ छब्बीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ इकताली तथा पैसे तेरह मात्र) की वसूली के लिए, दिनांक 25-04-2022 को "जैसी है जहां है", "जो जैसी है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

सुरक्षित मूल्य	रू. 1,37,00,000.00 (रूपए एक करोड़ सेतीस लाख मात्र)
धरोहर राशि जमा	क. 13,70,000.00 (रूपए तेरह लाख सत्तर हजार मात्र)
बिक्री की तिथि	25-04-2022
	दि साउध इंडियन बैंक लिमिटेड, दिल्ली प्रादेशिक कार्यालय : दिल्ली फॉट नंबर 20 एवं 21/1, निकट करोल बाग मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर नंबर 98 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005

अचल सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : राजस्व सम्पदा ग्राम सरहौल, तहसीत गुरूग्राम, जिला गुरूग्राम के अंतर्गत नगर निगम गुरूग्राम की सीमांतर्गत "डीएलएफ सिटी" फेज– मक आवासीय कालोनी में रोड नंबर के-3 पर भुखंड सं. 40 के सम्पूर्ण भू तल पर फ्रीह गवासीय फ़्लैट कवर्ड एरिया 1500 वर्ग फीट के साथ रोड नंबर के—3 पर 250.56 वर्ग मीटर में यथानुपात अविभाज्य ओर अविभाजित हिस्सा, डीएलएफ सिटी नामक आवार्स कालोनी में डाइववे के भीतर एक कार पार्किंग स्पेस और उक्त भखंड सं. 40 पर निर्मित सर्भ सुधारों, मौजूदा उपभोग अधिकारों सहित। उक्त सम्पत्ति श्रीमती प्रीते गुप्ता पत्नी श्री निपुण गुप्ता (प्रेषिती सं. 2) के स्वामित्वाधीन है, जिसका अधिक स्पष्ट वर्णन एसआरओं गुरूग्राम की सेल डी नंबर 11894 दिनांकित 30-07-2010 में किया गया है। सम्पत्ति की चौहद्दी - उत्तर : रोड दक्षिण : अन्य की भूमि, पूरब : प्लॉट नंबर के-3/39 तथा पश्चिम : प्लॉट नंबर के-3/41 प्राधिकत अधिकारी ने सम्पत्ति के संबंध में वर्ष 14-08-2020 से 15-02-2022 तक ईसी / सर्च रिपोर्ट प्राप कर ली है और इसमें कोई ऋणभार नहीं है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की वेबसाइ नामतः www.southindianbank.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें। कृपया नोट करें कि निविदा सह नीलामी सूचना दिनांकित 25–02–2022 के माध्यम

30-03-2022 हेतु निर्धारित पूर्व नीलामी एतद्द्वारा तकनीकी कारणों से निरस्त और प्रत्याहरित

तिथि : 23—03—2022 स्थान : नई दिल्ली दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

फॉर्म ए सार्वजनिक घोषणा (भारतीय ऋणशोधन और दिवालियापन बोर्ड (स्वैच्छिक ऋणशोधन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत) बिग लॉयलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्ड्रों के ध्यान देने हेतु

1.	निगमित व्यक्ति का नाम	बिग लॉयलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित व्यक्ति के समामेलन की तिथि	05.11.2018
3.	प्राधिकरण जिसके तहत निगमित ऋणी निगमित / पंजीकृत है	आरओसी— दिल्ली
4.	निगमित पहचान सं. / निगमित ऋणी की लिमिटेड देयता पहचान सं.	U74999DL2018FTC341533
5.	निगमित ऋणी का पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता	फ्लैट नं. सी—120, पांचवीं मंजिल, नेशनल अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 04, सेक्टर—3, द्वारका, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली—दिल्ली 110075 भारत
6.	निगमित व्यक्ति के ऋणशोधन शुरुआत होने की तिथि	21.03.2022
7.	ऋणशोधक का नाम, पता, ई—मेल, टेलीफोन नंबर, व पंजीकरण संख्या	शशिकांत श्रावण धामणे पता: 10, श्रीबन, पुलिस ग्राउंड के सामने, एफ सी. रोड, शिवाजी नगर पुणे — 411016, महाराष्ट्र इ—मेल: ssdhamne@yahoo.co.in टेलीफोन नं. 020—25665551 पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IPP00237/ 2017-18/10466
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	20.04.2022

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिग लॉयलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2022 को स्वैच्छिक ऋणशोधन की घोषणा की है।

बिग लॉयलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एतद्द्वारा मद 7 के विरूद्ध वर्णित पते पर ऋणशोधक के लिए 20 अप्रैल, 2022 तक या पहले अपने दावों का प्रमाण जमा करने के लिए बुलाया जाता है।

वित्तीय ऋणदाता केवल इलैक्ट्रानिक माध्यमों से अपने दावे जमा करा सकते हैं। अन्य सभी ऋणदाता स्वयं, या डाक या इलैक्ट्रानिक माध्यमों से प्रमाण सहित दावे जमा कर सकते हैं।

दावों के झूठे और भ्रामक प्रमाण जमा करने पर जुर्मान लगाया जाएगा।

दिनांक : 21.03.2022

स्थान : पुणे

शशिकांत श्रावण धामणे

talbros टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोर्नेट्स लिमिटेड सीआईएनः L29199HR1956PLC033107 पंजीकृत कार्यालयः 14/1, मधुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 s.com: वेबसाइट: www.talbr सूचना

शेयरों की विशिष्ट संख्या क्रम शेयरघारक का नाम फोलियो प्रमाणपत्र संख्या संख्या

आम जनता को किसी भी तरह से इन शेयरों को खरीदने या इनका लेनदेन करने से सावधान किय जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कथित शैयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कोई भी दावा रखता है, तो वह इर सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर अपना दावा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, केफिर ट्रेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, कृार्वी सिलेनियम टॉव्र-बी, प्लॉट नं. 31–32, गुचीबॉवर्ली, फाइनेंश्रियल् े प्रतिनेत्र करानाज्ञ, त्राना प्रतिनेत्र चित्र चन्ना, त्राच व. ३.१–३४, नवाबावला, किशासीयल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद–500032 के पास प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद किसी में दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

कते टालबोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंटस लिमिटेड हस्ता / – सीमा नारंग (कम्पनी सचिव)

> देखें नियम 8(1) कब्जा सचना

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार परमवीर शाह, परमवीर शाह; डी 163, चौथी मंजिल, कृष्णा पार्क, खानपुर, नई दिल्ली, दिल्ली - 110062, परमवीर शाह; मकान नं. 610/2, देवली गाँव, खानपुर, नई दिल्ली, दिल्ली 110062, सुशीला देवी; डी 163, चौथी मंजिल, कृष्णा पार्क, खानपुर, नई दिल्ली, दिल्ली - 110062 को 14.09.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00471900 की राशि रू.12,20,459.19 (रूपये बारह लाख बीस हजार चार सौ उनसठ और उन्नीस पैसे मात्र) और

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करवं 21.03.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.12,20,459.19 (रूपये बारह लाख बीस हजार चार सौ उनसठ और उन्नीस पैसे मात्र) 26.06.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्य लिमिटेड के आधीन होगा।

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 29, दूसरी मंजिल, पॉकेट-2, ब्लॉक-बी-3, सेक्टर-34, रोहिणी, नई दिल्ली दिल्ली - 110086

दिनांक : 21.03.2022 प्राधिकत अधिकारी स्थान : दिर्ल्ल इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

FORM NO LIRC-2 isement giving Notice about Registration under Part I of Chapter XXI of the Ac (Pursuant to Section 374 (b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014)

Notice is hereby given that in pursuance of sub-Section (2) of Section 366 of the Compar Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at New Delhi that a LLP may be registere under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a Company limited by shares The Principal Objects of the Company are as follows:

To Conduct investment research for the use of Client, subscribers, associates or others; b) To publish data, information, views, commentary, analysis on Companies, industrie economies or any other subject through print, electronic or any other medium;

 c) To provide investment advise to retail as well as institutional clients, covering stocks bonds, mutual funds, ETFs or any other securities; d) To provide any other services incidental to providing investment research, advise a

trade execution services

And such other matters which are necessary for furtherance of business of the LLP a signified as above and particularly provided in Schedule I of the LLP Agreement. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed Company may

be inspected at the office at 5_DDA Commercial Complex_Chitra Vibar_Delhi-110092 Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate the objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaoi

(Haryana), Pin code - 122050 within twenty one days from the date of publication of this

Notice, with a copy to the Company at its registered office. Name(s) of Applican Dated 24th day of March, 2022

1. Ms. Charul Sharma 2. Mr. Dhirendra Kumar

🚠 सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यातयः ।–ए, ज़ी प्लाजा, अर्जुन नगर, सफ्दरजंग एन्वलेव, कमल सिनेमा रोड, नई दिल्ली–110029, फोन: + 91–11–26169909, 26169712, फैक्स: + 91–11–2619589 गॅ**पॅरिट कार्यालय:** सोम हाउस, 23, जोन ॥, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)-462011 गेन: + 91-755-4278827, 4271271, फैक्स: + 91-755-2557470

मेल: compliance@somindia.com, वेबसाइट: www.somindia.com /ebsite: www.somindia.com CIN : L74899DL1993PLC052787 (BSE : 507514, NSE : SDBL)

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र सह संचरण जारी करने की सूचना एत द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र खो गए हैं या गुम हो गए हैं या चोरी हो गए हैं और उसके दावेदार ने कंपनी को 5 रुपये प्रत्येक सह संचरण के अंकित मूल्य वे प्र्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

फोलियो नंबर	शेयरधारक का नाम	10/ – रूपये के अकित मूल्य के शेयर	शेयर प्रमाणपत्र संख्या	विशिष्ट संख्या
13329	जुलालसिंह राठौड़ (मृतक)/ वनमाला जुलालसिंह राठौड़ (दावेदार)	400	46095-46098	7389471- 7389870

चेतावनी दी जाती है। कोई भी व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके पास उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कोई दावा है/हैं, ऐसे दावे को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लिखित रूप में या ई-मेल द्वारा compliance@somindia.com पर इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर दर्ज करना होगा. जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी नवीकृत शेयर प्रमाणपत्र जारी कर देगी। ओम प्रकाश

स्थान : भोपाल दिनांक: 24.03.2022 कंपनी सचिव OSBI

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ई-कॉमर्स विभाग, कॉरपोरेट केंद्र

शुद्धिपत्र - 1

'ओन्ली योनो–द न्यू डिजिटल बैंक (योनो 2.0)' के लिए सलाहकार की शॉर्टलिस्टिंग के लिए पात्र बोलीदाताओं से भारतीय स्टेट बैंक दारा व्यापार, परियोजना प्रबंधन और तकनीकी प्रशास सेवाएं प्रदान करने के लिए कृपया ईओआई संख्या: SBI/DT&e-Comm./DB/ 2021-22/01 दिनांक: 09.03.2022 देखें. शुद्धिपत्र - 1 दिनांक 24.03.2022 को प्रोक्योरमेंट न्यूज के तहत https://www.sbi.co.in या ई-प्रोक्योरमेंट एजेंसी पोर्टल https://etender.sbi/SBI/ पर देखा जा सकता है.

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ई-कॉमर्स विभाग

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार श्री. थान सिंह, श्रीमती नीलम देवी और श्री. बाबू लाल को 11.11.2016 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLMAT00206283 की राशि रू.18,82,630/- (रूपये अठारह लाख बयासी हजार छह सौ तीस मात्र) और 10.11.2016 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदृद्धारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 22.03.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.18,82,630/- (रूपये अठारह लाख बयासी हजार छह सौ तीस मात्र) 10.11.2016 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाराज्य निर्मिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण खसरा नंबर 198 में, आनंदवन फेज -2 एक्सटेंशन, तहसील और जिला मथुरा एंदून, मौजा नवादा पर स्थित, प्लॉट नं.500 पर मकान मापित पूर्व से 24 फीट, पश्चिम-24 फीट, उत्तर-41 फीट, 8 इंच, दक्षिण-44फीट, कुल क्षेत्र 114 चौ. यार्डस के बराबर 95.32 चौ.मीटर, मथुरा, उत्तर प्रदेश, जो

निम्नानुसार परिबध्द है : पर्व : प्लॉट नं. 459 और 460 पश्चिम : कॉलोनी रोड उत्तर : प्लॉट नं. 499 : ਪ੍ਜੱਟ ਜਂ. 501

सही/ दिनांक : 22.03.2022 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : मथरा

अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों)	एन.पी.ए की	बकाया राशि
क्र.	(y)	का विवरण (बी)	तारीख (सी)	(ন্ড.) (ৱী)
1.	कर्ज खाता क्र. A008XII-02 (आईएचएफएल का पिछला कर्ज खाता क्र. HHEDIP00193331) 1. आदित्य त्रिवेदी 2. सोनी त्रिवेदी 3. एल.डी. व्यास	यूनिट नंबर-0156-0-टी11डी(4डी)- 1203, प्लॉट नंबर-जीएच-01, ईटीए-2 सुशांत सेरेन रेजीडेंसी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201307	10.07.2019	रु. 1,23,550/- (एक लाख तेईस हजार पांच सौ पचास रूपये मात्र) 24.11.2021 के अनुसार

बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है । उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिणामस्वरूप प्रत्येक उघार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें. तथा शल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित

करते हुए, सार्वजनिक निवदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्घारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित

संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं कृते एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड ACRE-102-द्रस्ट के द्रस्टी प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: फरीदाबाद/सिंगरौली/नोएडा

अनु.

स्थान: गौतम बु

सिक्योरिटाईजेशन एड रिकन्स्ट्रक्शन आफ फायनाशियल असेटस एड एन्फासेमेट आफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की घारा 13(2) के अंतर्गत सूचना					
कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)		
কৰ্জ জ্বানা ক্ল. D030XII-02 (आईएचएफएल का पिछला কৰ্জ জ্বানা ক্ল. HHENDD00269731) 1. अजब कुमार पाठक 2. दीपांकर	यूनिट नंबर टी7 208, बीसवीं मंजिल, टावर 7, प्रोजेक्ट केवीडी विंडपार्क, प्लॉट नंबर डीवी जीएच 09बी पर, सेक्टर टेकजोन 4 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201303	10.01.2019	रु. 1,74,149/- (एक लाख चौहतर हजार एक सौ उनचास रुपये मात्र) 24.11.2021 के अनुसार		

कि ऊपर लिखे नाम वाला उद्यार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आ बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक जधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उघार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उघार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा

सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की घारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है । उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदुद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति नने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत

करने के लिए कंपनी पात्र होगी । कृपया घ्यान दें कि सरफेसी कानून की घारा 13 की उप-घारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्च निर्धारित समया

ाहीं हो सकता'' तरफेसी अधिनि **वे**त अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से व गनांतरित करने से प्रतिबंधित हैं एंटरप्राइज लिमिटेह

02-ट्रस्ट के ट्रस्टी ग्राधिकृत अधिकारी

	सिक्यारिटा इन्टरस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की बारा 13(2) के अंतगत सूचना								
मनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण	एन.पी.ए.की	बकाया राशि					
新 .	(ÿ)	(बी)	तारीख (सी)	(रू.) (डी)					
1	कर्ज खाता क्र.HLAPDCP00088286 1.एस के भारद्वाज 2. माधव कुमार 3. पेनिनसुला प्रॉपकॉन प्राइवेट लिमिटेड 4. एसडी टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 5. इंजीनियरींग डिवाइसेस एंड कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड	ऑफिस नं.CP-103, ब्लॉक नं.1, पहली मंजिल, कॉर्पोरेट पार्क, डीएलएफ सिटी, फेज़-III, गुडगाँव-122001, हरियाणा		रू.1,12,09,978.24 /- (रूपए एक करोड़ बारह लाख नी हजार नी सी अठहत्तर और चौबीस पैसे मात्र) 11.03.2022 के अनुसार					
2	कर्ज खाता क्र.HHLNOI00460053 1.राजबीर सिंह 2. रणबीर सिंह 3. रविंदर कुमार 4. सविता देवी 3. कृष्णा	प्लॉट नं.50, रोड नं.यु-7, डीएलएफ सिटी, फेज़-III, गुरुग्राम-122002, हरियाणा	11.03.2022	रू.55,25,210.26 /- (रूपए पचपन लाख पचीस हजार दो सौ दस और छब्बीस पैसे मात्र) 11.03.2022 के अनुसार					
ऊप	र लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के	वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफ	ल रहे हैं तथा कंप	नी द्वारा अपनी आम बिजनेस चय					

गर लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कपनी द्वारा सीमाकित मापदडी

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 50 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी । कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निवदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियो

प्राधिकृत अधिकारी

कृते एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड ACRE-102-ट्रस्ट के ट्रस्टी प्राधिकृत अधिकारी

डचा , लागता आर प्रभारा के साथ संपूण बकाया दय शाश अदा कर सकता है , इसके अलावा : ावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का म	The room thinks thinks a manner
नेयमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अ कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखि	ान्यथा नोटिस में उल्लिखि
	केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एं ACRE-10
दुद्ध नगर/गिरिडीह/देवघर/नोएडा	я
सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फो सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत	

-		1.एस के भारद्वाज	मंजिल, कॉर्पोरेट पार्क, डीएलएफ सिटी,		(रूपए) एक करोड़ बारह
١		2. माधव कुमार	फेज़-III , गुडगाँव-122001, हरियाणा		लाख नौ हजार नौ सौ
١		3. पेनिनसुला प्रॉपकॉन प्राइवेट लिमिटेड			अठहत्तर और चौबीस पैसे
١		4. एसडी टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड			मात्र) 11.03.2022 के
١		5. इंजीनियरींग डिवाइसेस एंड कंट्रोल्स प्राइवेट			अनुसार
١		लिमिटेड			
١	2	कर्ज खाता क्र.HHLNOI00460053	प्लॉट नं.50, रोड नं.यु-7, डीएलएफ	11.03.2022	रू.55,25,210.26 /-
١		1.राजबीर सिंह	सिटी, फेज़-III, गुरुग्राम-122002,		(रूपए) पचपन लाख
١		2. रणबीर सिंह	हरियाणा		पचीस हजार दो सौ दस
١		3. रविंदर कुमार			और छब्बीस पैसे मात्र)
١		4. सविता देवी			11.03.2022 के अनुसार
١		3. कृष्णा			
١	कि ऊप	ार लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के	वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफ	ल रहे हैं तथा कंप	नी द्वारा अपनी आम बिजनेस च
١	में रखे	जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि	ा बकाया बनी हुई है	1
- 1			"	के के का कार्य न	d in d an abrita and

के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के

अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है । स्थान : गुरुग्राम/नई दिल्ली

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

थान: कटिहार/नोएडा/दिल्ली/गाज़ियाबाद

प्रतद्वारा सूचित किया जाता है कि निन्नतिखित शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के खो जाने / गुम होने की सूचना मिली है और कम्पनी के पंजीकृत शेयरधारकों / दावाकर्ताओं द्वारा खुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने के लिए आवेदन किया गया है :

1. राधे मोहन R 000418 53231 2. सुशील कुमार 4263624 4263748 S 000503 53184 125

स्थान : फरीदाबाद दिनांक : 23.03.2022

परिशिष्ट IV (अचल संपत्ति हेतु)

26.06.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता

करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मक्त कराने

सही/

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण	एन.पी.ए.की	बकाया राशि		
क्र.	(y)	(बी)	तारीख (सी)	(板.) (륔)		
1	कर्ज खाता क्र.HHLMAT00169952	प्लॉट नं399 भाग, आनंदवन फेज़ -॥,	10.12.2021	転.5,12,301.62 /-		
	1.रणवीर सिंह	मौजा नवादा, तहसील और जिला मथुरा,		(रूपए पाँच लाख बारह हजार		
	2. ममता रानी	मथुरा-281001, उत्तर प्रदेश		तीन सौ एक और बासठ पैसे		
				मात्र) 25.01.2021 के अनुसार		
न ऊप	s ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या					
-				-f 4 -		

में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडी के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सुचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निवदा या निजी समझैते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता "

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है।

प्राधिकृत अधिकारी स्थान: मथरा कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

	सिक्यारिटा इन्टरस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की बारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण	एन.पी.ए.की	बकाया राशि	
क्र.	(y)	(बी)	तारीख (सी)	(रू.) (डी)	
1	कर्ज खाता क्र.HRHLVAS00484507	प्लॉट नं.F-50, फ्लैट नं.जीएफ -4, तल	20.01.2022	枣.10,27,922.86 /-	
	1.सुमन	मंजिल, पीछे बाएं हाथ की ओर,		(रूपए दस लाख सत्ताईस हजार	
	2. संजय कुमार	ब्लॉक - एफ,एसएलएफ वेद विहार,		नौ सौ बाईस और छियासी पैसे	
	3. हर्ष पांडे	गाज़ियाबाद, मध्यप्रदेश - 201102		मात्र) 20.01.2022 के अनुसार	
	4.मनोज कुमार				
2	कर्ज खाता क्र.HRSMNOD00485444	मकान नं.14, ब्लॉक ए, करण एनक्लेव,	20.01.2022	रू.5,73,602.29/-	
	1.सुंदर सिंह	खसरा नं356, गाँव चिपायण बुजुर्ग, गौतम		(रूपए पाँच लाख तिहत्तर हजार	
	2. हिमांशु	बुद्ध नगर , उत्तरप्रदेश - 201308		छ सौ दो और उनतीस पैसे मात्र)	
	3. ছাছিা			20.01.2022 के अनुसार	
C	_ 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 /				

के ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनयम की

धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी । कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के

अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता " सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमित के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियाबुल्स रूरल फायनान्स प्राइवेट लिमिटेड

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना गिरवी संपत्ति(यों) कर्जदाता (ओं) का नाम एन.पी.ए की बकाया राशि का विवरण (y) (相) फ्लैट नंबर – जी/सीए – 508, पांचवीं 10.04.2019 कर्ज खाता क्र. P017XII-02 रु. 1,61,457/- (एक लाख इकसठ हजार मंजिल, टावर - जी, आदित्य सिटी चार सौ सत्तावन रूपये मात्र) 24.11.2021 अपार्टमेंट, जीएच – 6, आदित्य वर्ल्ड सिटी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश – र्ज्ज खाता क्र. के अनुसार HHEDCP00279175) 201011 2. मुन्नी देवी 3. उपेंद्र प्रसाद जायसवाल

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उघार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट घनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्भारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति

बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत

करने के लिए कंपनी पात्र होगी कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्घारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं